10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रं. /13/निगरानी R-233-I/14

वगदीराम पिता धन्नाजी गायरी, आयु 50 वर्ष, धंधा कोटवार, निवासी – ग्राम उणी तहसील जावरा जिला रतलाम (म.प्र.) ––आवेदक

विरूद्व

मोहनलाल पिता किशनलाल, उम्र 45 वर्ष, धंधा मजदूरी, निवासी – ग्राम चोकी तहसील जावरा जिला रतलाम (म.प्र.)

––अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जावरा के प्रकरण क्रमांक 09/अपील/2010/2011 के पारित आदेश दिनांक 26/09/2012 के विरूद्व कलेक्टर महोदय जिला रतलाम के समक्ष गलती से निगरानी प्रस्तुत कर दी थी। उक्त निगरानी में दिनांक 10/05/13 को आदेश पारित करते हुए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु वापस किये जाने का आदेश दिया गया है व दिनांक 11/12/13 को प्रार्थी के अभिभाषक को उक्त निगरानी वापस दी गई। इस प्रकार से कलेक्टर महोदय के समक्ष जो समयावधि व्यतीत हुई उसे कण्डोन की जाकर निगरानी अंदर अवधि मान्य किये जाने की कृपा की जावे।

01. यह कि, आवेदक ने कलेक्टर महोदय के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की उसमें जो आधार बताये गये हैं उन्हीं आधारों पर यह निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

अतएव निवेदन है कि आवेदक का पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी महोदय जावरा का आदेश दिनांक 26/09/12 निरस्त की जाने की कृपा की जावे।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-233-एक/14 जिला - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। पेशी दिनांक प्रशासकीय सदस्य	

Scanned by CamScanner